



भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झांसी रोड, ग्वालियर - 474 002
Indian Audit and Accounts Department
O/o the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh
Audit Bhawan, Jhansi Road, Gwalior - 474002
Email: agaumadhyapradesh1@cag.gov.in



OE-11/Gr-6/F-98(4)/E-6473/00-89

दिनांक- 01.09.2026

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER-89

सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार तथा महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) का कार्यालय, दिल्ली के पत्र संख्या-प्रशा-I/फा-837/Deptn./Qtr-2/July to Sept/2025/Vol.III/421 दिनांक-31.07.2026 के अनुपालन में, इस कार्यालय से उक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत श्री दिलीप कुमार मीणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (02/10743) की प्रतिनियुक्ति अवधि को मुख्यालय कार्यालय के पत्र क्रमांक 60-स्टाफ(एप)-I/14-2023, दिनांक-27.01.2025 में निहित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24.08.2026 से 23.08.2027 तक (तृतीय वर्ष) निम्नलिखित शर्तों के अधीन विस्तारित किया जाता है: -

- पुनः प्रतिनियुक्ति विस्तार नहीं होने की स्थिति में, श्री दिलीप स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के अंतिम दिन कार्यभार त्यागकर स्वयं को कार्यभार मुक्त करेंगे।
- उपर्युक्त निर्देश का पालन न करने पर वह स्वतः ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- नियत समयावधि में प्रत्यावर्तन नहीं होने की स्थिति में स्वीकृत अवधि के बाद की उनकी सेवा को सेवा में विराम माना जावेगा।
- संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय से यह सुनिश्चित किया जावेगा कि श्री दिलीप की स्वीकृत प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात् का वेतन रोक दिया जावे।

As per the orders of the Competent Authority and in compliance with Letter No. Admin-I/F-837/Deptn./Qtr-2/July to Sept/2025/Vol.III/421, dated 31.07.2026, issued by Office of the Director General of Audit (Finance & Communication), Delhi, the deputation tenure of Shri Dileep Kumar Meena, Assistant Audit Officer (02/10743), presently working on deputation from this office to the said office, is hereby extended from 24.08.2026 to 23.08.2027 (Third Year), in accordance with the provisions contained in Headquarters Office Letter No. 60-Staff(App)-I/14-2023, dated 27.01.2025, subject to the following conditions: -

- In the event of no further extension of the deputation tenure, Shri Dileep shall relinquish charge on the last day of the approved deputation period and get himself relieved from this office.
- Failure to comply with the aforesaid instruction shall render him liable for disciplinary action.
- In the event of failure to repatriate within the stipulated period, the period of service rendered by him beyond the approved deputation period shall be treated as a break in service.
- The Pay and Accounts Office concerned shall ensure that the salary of Shri Dileep is withheld beyond the approved period of deputation.

हस्ता-

उप महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक)-प्रथम का कार्यालय, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन कार्य हेतु प्रेषित।
4. उप निदेशक/प्रशासन, वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा का कार्यालय, जयपुर को उनके पत्र पत्र संख्या-प्रशा-I/फा-837/Deptn./Qtr-2/July to Sept/2025/Vol.III/421 दिनांक- 31.07.2026 के सन्दर्भ में।
5. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन-12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, संपदा प्रबंधन, गोपनीय कक्ष एवं ई-सेल।
6. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.एस.विंग, इन्ट्रानेट पर एवं सबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री महेश कुमार अलोरिया/स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड सुनिश्चित करने हेतु ।
8. महामंत्री, एस.ए.एस. ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर।
9. श्री दिलीप कुमार मीणा, स.ले.प.अ., द्वारा वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा का कार्यालय, जयपुर।
10. सूचना पटल।
11. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन-11
01.09.26